न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2012 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 01.10.2012
G.C.M.S. NO. :- 2012/00039

रामेश्वर पिता मूलचन्द सुथार, उम्र 55 साल, पेशा कृषि, निवासी रावड़दा, पोस्ट, रावतड़दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–पोखर पिता नारायण मेघवाल, निवासी रावड़दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) मृत्तक के बजाए सामाजिक रस्म–रिवाज पगडी दस्तूर से बने वारिसः–
1/1–मोहन पिता नारायण जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष, निवासी रावड़दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–भूमिधारी तहसीलदार बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन सलाहकार कमेटी, बेगूं बमिसल क्रमांक 412/1978 आवंटन दिनांक 08.01.1980

उपस्थितिः–1– श्री चांदमल गर्ग, अधिवक्ता प्रार्थी

प्र. सं. 09/2012 (रा.प्रा.पत्र)
रामेश्वर पिता मूलचन्द सुथार निवासी रावड़दा, तहसील बेगूं बनाम पोखर पिता नारायण मेघवाल निवासी रावड़दा वगैरा

निर्णय

दिनांक 20.10.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि जरिये मिसल नम्बर 412 सन् 1978 से दिनांक 07.11.1979 को मौजा रावड़दा, तहसील बेगूं के खसरा परिवर्तन आराजी नम्बर 531 रकबा 04 बीघा तथा आराजी नम्बर 532 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा किता 2 कुल क्षेत्रफल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि आवंटी पोखर पिता नारायण मेघवाल के अवैधानिक रूप से कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के नियमों का उल्लंघन कर आवंटन की जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमावत ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार है। संबंधित भूआवंटन पत्रावली तलब की गई। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 तथा उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि जरिये मिसल नम्बर 412/1978 से मृत्तक आवंटी पोखर पिता नारायण मेघवाल को मौजा रावड़दा की आराजी नम्बर 959 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 162 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि दिनांक 04.06.1978 को आवंटन हुई। दिनांक 10.08.1978 को पटवार हल्का के तत्कालीन पटवारी जब आवंटी पोखर को कब्जा सिपुर्द करने गये तो आवंटी ने उक्त आवंटित भूमि का कब्जा लेने से इन्कार कर दिया ऐसी स्थिति मे आवंटन सलाहकार कमेटी ने आराजी नम्बर 959 व 162 में अपनी मनमर्जी से आवंटन कर दिया जो पूर्णतः गलत होकर निरस्त योग्य है। आवंटी द्वारा आराजी नम्बर 959 व 162 पर कब्जा लेने से मना करने पर दिनांक 29.11.1978 को

आवंटी को आवंटन क्यों न केंसल कर दिया जावे ? अर्थात् शॉ-कॉज नोटिस भेजा जिस पर आवंटी ने दिनांक 23.09.1978 को तहसीलदार, बेगूं के यहां उक्त आवंटित रकबे के आराजी नम्बर परिवर्तन करने की दरख्वास्त पेश की उस पर कार्यालय ग्राम पंचायत शादी ने भी अनापत्ति प्रस्तुत कर दी कि आवंटन आराजी नम्बर 959 व 162 के बजाय आराजी नम्बर 531 एवं 532 में परिवर्तन कर दिया जावे तो ग्राम पंचायत शादी को आपत्ति नहीं है। उक्त अनापत्ति के बाद आवंटन सलाहकार कमेटी, बेगूं ने दिनांक 07.11.1979 को उक्त नम्बर परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी इस कारण आवंटी पोखर को मिसल नम्बर 412/1978 से दिनांक 08.01.1980 को मौजा रावड़दा की आराजी नम्बर 531 रकबा 04 बीघा एवं आराजी नम्बर 532 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि का परिवर्तन के आधार पर आवंटन कर दिया। उक्त नया आवंटन जो आराजी नम्बर 531 एवं 532 में हुआ वह नियमानुसार कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमों के तहत नहीं हुआ आवंटन करने से पूर्व आवंटन करने की कोई उद्घोषणा आम जनता में साया नहीं कराई जिससे भी उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। उक्त अवैधानिक आवंटन के आधार पर जरिये इन्तकाल नम्बर 163 दिनांक 07.01.1981 से आराजी नम्बर 531 रकबा 311 बीघा 12 बिस्वा किस्म पहाड़ में से रकबा 04 बीघा एवं आराजी नम्बर 532 मी रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा किस्म बंजर में से 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसके नम्बर क्रमशः 1131/531 रकबा 04 बीघा व आराजी नम्बर 1132/532 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा आवंटी पोखर के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त आवंटन नम्बर परिवर्तन दिनांक 07.11.1979 से आवंटन दिनांक 08.01.1980 एवं लगातार आज दिनांक तक आवंटित रकबे पर आवंटी द्वारा एक साल भी खेती नहीं की आवंटी पोखर की मृत्यु भी आवेदन प्रस्तुत दिनांक से 10 वर्ष पूर्व लाऔलाद हो चुकी है आवंटी के कोई जायन्दा वारिस नहीं है। पोखर की मृत्यु के बाद सामाजिक रस्म रिवाज से समाज के पांच मौतबीर पंचो ने पोखर के सगे भ्राता मोहन पिता नारायण मेघवाल के सिर पर पगडी बंधाकर मृत्तक का वारिस बनाया है किन्तु उक्त वारिस मोहन ने भी आज तक उक्त भूमि में कृषि नहीं की है जबकि नियमानुसार 1970 के नियमों के तहत 50 प्रतिशत रकबे पर कृषि करना आवश्यक है जिससे उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थी रामेश्वर का कब्जा आवंटन के पूर्व से निरन्तर आज दिनांक तक चला आ रहा है हर वर्ष उपयोग-उपभोग कर रहा है उक्त आराजी नम्बर

1132/532 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि आवंटी पोखर के नाम गैर खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी के नाम नियमन कराने में कानूनी अडचने आने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी नम्बर 1132/532 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 08.01.1980 को निरस्त कराने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण को गुणावगुण पर देखा। जिसके अनुसार अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा रावडदा, तहसील बेगूं की आराजी नम्बर 1131/531 रकबा 04 बीघा एवं आराजी नम्बर 1132/532 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि मृत्तक आवंटी पोखर पिता नारायण मेघवाल को भू आंवटन कमेटी बेगूं द्वारा आवंटित की गई है जिसका आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम तो अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को ओक्यूपाईड़ भूमि नहीं माना जा सकता है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में थी और प्रार्थी भू आवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन सलाहकार समिति विचार नहीं कर सकती।

अधीनस्थ कार्यालय की भू आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृत्तक आवंटी पोखर पिता नारायण मेघवाल निवासी रावड़दा ने भूमिहीन होने से ग्राम रावड़दा में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं बाद जांच भूआवंटन सलाहकार समिति की राय पर उपखण्ड अधिकारी बेगूं ने ग्राम रावड़दा की आराजी नम्बर 959 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 162 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि मृत्तक पोखर को आवंटित की जिसके पश्चात् आवंटी द्वारा उसे आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण होने से अन्य आराजी नम्बर 531 एवं 532 में से भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत शादी द्वारा भी उक्त आराजीयात में से आवंटी पोखर को भूमि आवंटन करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है जिससे उक्त आराजी नम्बर 531 एवं 532 में से कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि का मृत्तक पोखर को आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन किया गया एवं आवंटित भूमि का उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया।

यदि आवंटित भूमि पर प्रार्थी का आवंटन से पूर्व ही कब्जा-काश्त था तो उसे भी नियमानुसार उक्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन कर भूमि आंवटन/नियमन करानी चाहिए थी जो कि प्रार्थी के द्वारा नहीं करवाई गई तथा न ही उक्त भूमि आवंटन करने हेतु ग्राम पंचायत शादी द्वारा अनापत्ति देने पर प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति पेश की। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त विवादित आवंटित आराजीयात पर प्रार्थी के कब्जे-काश्त संबंधी कथन की पुष्टि होती हो तथा न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित कराया है। प्रार्थी द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र में आवंटन से पूर्व का उसका कब्जा-काश्त होने संबंधित कथन कर देने या तथ्य वर्णित कर देने के आधार पर लगभग 42 वर्ष पुराना आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)